# बिहार सरकार
## ऊर्जा विभाग

पत्रांक–प्र0 / SBPDCL–55 / 2024– /पटना, दिनांक–

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषयः– **साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 के क्षेत्राधीन कैमूर और रोहतास जिलों के 177 बसावटों (132 गॉवों) के 21644 घरों को ग्रिड से विद्युतीकरण करने हेतु "पुर्नोत्थान वितरण क्षेत्र योजना" (Revamped Distribution Sector Scheme)-RDSS अंतर्गत कुल राशि 117.80 करोड़ (एक सौ सतरह करोड़ अस्सी लाख) रूपये की स्वीकृत योजना की पुनरीक्षित लागत 351.85 करोड़ (तीन सौ इक्यावन करोड़ पचासी लाख) रूपये की स्वीकृति एवं इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2026–27 में 104.22 करोड़ (एक सौ चार करोड़ बाईस लाख) रूपये साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।**

आदेश–स्वीकृत।

विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0–4471 दिनांक–26.11.2024 द्वारा राज्य की साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 अंतर्गत कैमूर और रोहतास जिलों के 177 बसावटों (132 गॉवों) के 21644 घरों को ग्रिड से विद्युतीकरण करने हेतु "पुर्नोत्थान वितरण क्षेत्र योजना" (Revamped Distribution Sector Scheme) अंतर्गत कुल प्रस्तावित राशि 117.80 करोड (एक सौ सतरह करोड़ अस्सी लाख) रूपये की योजना की स्वीकृति एवं इसके कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा स्वीकृत 117.80 करोड़ (एक सौ सतरह करोड़ अस्सी लाख) रूपये की 60:40 वित्तीय पोषण के तहत् 60% अर्थात् 70.68 करोड़ (सत्तर करोड़ अड़सठ लाख) रूपये केन्द्र सरकार से अनुदान स्वरूप एवं शेष राशि 47.12 करोड़ (सैंतालीस करोड़ बारह लाख) रूपये राज्य सरकार द्वारा साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 को हिस्सा पूँजी के रूप में इक्विटी स्वरूप उपलब्ध कराने की स्वीकृति एवं इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में इक्विटी स्वरूप हिस्सा पूँजी की पूरी राशि 47.12 करोड़ (सैंतालीस करोड़ बारह लाख) रूपये साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की गई।

2. उपर्युक्त कार्य हेतु निविदा के माध्यम से एजेंसी का चयन किया गया है एवं 11 एजेंसी मेसर्स लेजर पावर एंड इन्फ्रा लिमिटेड, कोलकाता को कुल 134.68 करोड़ (एक सौ चौंतीस करोड़ अड़सठ लाख) रूपये का कार्यादेश दिनांक–27.11.2024 को निर्गत किया गया। उक्त कार्य वन एवं पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत आने के कारण पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग (MOEFCC) से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है, जिसके लिए प्रस्ताव PARIVESH-2 पोर्टल पर समर्पित किया गया। National Board of Wildlife (NBWL) द्वारा रोहतास एवं कैमूर जिलों के Wilidlife Clearence प्रस्तावों को मार्च, 2026 में स्वीकृति प्रदान की गई एवं MOEFCC द्वारा दिनांक–24.06.2026 को दोनों जिलों के Forest clearance प्रस्तावों की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई। MOEFCC ने PARIVESH–2 Portal के माध्यम से CAMPA मद में रोहतास एवं कैमूर जिलों के लिए क्रमशः 58.13 करोड़ (अंठावन करोड़ तेरह लाख) रुपये एवं 159.04 करोड़ (एक सौ उनसठ करोड़ चार लाख) रुपये अर्थात कुल 217.17 करोड़ (दो सौ सत्रह करोड़ सत्रह लाख) रुपये Compensatory levies के रूप में जमा करने हेतु सूचित किया गया है। MOEFCC के द्वारा कार्य अनुमति से पूर्व Compensatory levies का CAMPA मद में जमा करना आवश्यक है।

3. RDSS योजना के कार्यान्वयन हेतु विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश की कंडिका–7.3 में अंकित है कि विद्युत शक्ति उपकेन्द्र हेतु भूमि उपलब्ध कराना और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग से अनापत्ति प्राप्त करना इत्यादि राज्य सरकार का दायित्व है।

4. इस योजना की पुनरीक्षित लागत की विवरणी निम्नवत है: –

(राशि करोड़ रूपये में)

| क्र0 सं0 | विवरण | भारत सरकार का अनुदान | बिहार सरकार का राज्यांश | कुल राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RDSS के अंतर्गत स्वीकृत राशि (केन्द्रांश–60% एवं राज्यांश–40%) | 70.68 | 47.12 | 117.80 |
| 2 | निविदा के माध्यम से निर्गत कार्यादेश के अनुसार अतिरिक्त आवश्यक राज्यांश | – | 16.88 | 16.88 |
| 3 | MOEFCC के द्वारा Compensatory levies की राशि | – | 217.17 | 217.17 |
| | कुलः– | **70.68** | **281.17** | **351.85** |

5. वर्तमान में कैमूर एवं रोहतास जिलों के सभी 177 बसावट (132 गॉव) सौर ऊर्जा से ऊर्जान्वित है जिससे उनको कुछ घंटों की विद्युत आपूर्ति की जाती है। इस योजना से कैमूर और रोहतास जिलों के 177 बसावटों (132 गॉवों) के 21644 घरों को ग्रिड से विद्युतीकरण किया जायेगा, जिसमें कैमूर जिला का एक पी0भी0टी0जी0 गॉव (साराडॉग) का विद्युतीकरण भी शामिल है। इस योजना अंतर्गत निर्मित संरचना से 30–40 वर्षों तक व्यवहारिक रूप से कम परिचालन लागत पर 24X7 गुणवत्तापूर्ण एवं निर्बाध विद्युत आपूर्ति की जा सकेगी।

6. उक्त आलोक में साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 के क्षेत्राधीन कैमूर और रोहतास जिलों के 177 बसावटों (132 गॉवों) के 21644 घरों को ग्रिड से विद्युतीकरण करने हेतु ''पुर्नोत्थान वितरण क्षेत्र योजना'' (Revamped Distribution Sector Scheme)-RDSS अंतर्गत कुल राशि 117.80 करोड़ (एक सौ सतरह करोड़ अस्सी लाख) रूपये की स्वीकृत योजना की पुनरीक्षित लागत 351.85 करोड़ (तीन सौ इक्यावन करोड़ पचासी लाख) रूपये की स्वीकृति एवं इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2026–27 में 104.22 करोड़ (एक सौ चार करोड़ बाईस लाख) रूपये साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

7. उक्त राशि बजट मांग सं0–10, मुख्य शीर्ष 4801–बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष–05 संचरण तथा वितरण, लघुशीर्ष–190–सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश, उपशीर्ष–0106 साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 की परियोजना, विपत्र कोड–10–4801051900106 विषय शीर्ष–5401–निवेश के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026–27 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

8. इस राशि की निकासी उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा CFMS के माध्यम से सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 के व्यक्तिगत लेखा खाता (पी०एल० खाता संख्या–PTSPLA017) के मुख्य शीर्ष 8448–स्थानीय निधियों की जमा, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–120–अन्य निधियाँ, उपशीर्ष–0047–साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0, व्यय शीर्ष–L8448001200047 एवं प्राप्तियाँ–K–8448001200047 में जमा की जाएगी।

9. साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 द्वारा राशि की निकासी कोषागार में खोले गए CFMS खाता संख्या–PTSPLA017 से की जाएगी।

10. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–7355 दिनांक–05.10.2007 के अनुसार इसमें महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

11. उक्त योजना की स्वीकृति हेतु मंत्रिपरिषद का अनुमोदन संचिका संख्या–प्र0/SBPDCL–55/2024 के पृष्ठ संख्या–39/टि0 पर दिनांक–30.09.2026 को प्राप्त है।

12. राज्यादेश पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–प्र0/SBPDCL–55/2024 के पृष्ठ संख्या–42/टि0 पर दिनांक–05.10.2026 को प्राप्त है।

13. उक्त प्रस्ताव एवं प्रारूप पर सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(सुधा गुप्ता)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–प्र0/SBPDCL–55/2024– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–प्र0/SBPDCL–55/2024– 5036 /पटना, दिनांक– 06.10.2026

प्रतिलिपिः–वित्त विभाग, बजट शाखा/अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग(तीन प्रतियों में), पटना/अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (हो0) कं0 लि0/प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0/आई0टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

06.10.26
सरकार के संयुक्त सचिव।